

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India



सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 222]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 23, 2006/ज्येष्ठ 2, 1928

No. 222]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 23, 2006/JYAISTHA 2, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2006

सा.का.नि. 306 (अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के अधिनियम सं. 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयुक्त करके और भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन विभाग के पत्तन स्कंध को दिनांक 2-5-2006 को अधिसूचना सं. सा.का.नि. 266 (अ) के क्रम में, केन्द्र सरकार, उपर्युक्त अधिसूचना में क्रम सं. 3 के बाद, निम्नलिखित अधिकारियों को एतद्वारा, काँडला पत्तन के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है।

तालिका

4. निदेशक (वित्त)	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन विभाग के प्रतिनिधि
5. प्रभारी प्रधान अधिकारी, समुद्री वाणिज्य विभाग, मुंबई	समुद्री वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधि
6. सचिव, पत्तन और परिवहन विभाग, ब्लॉक नं. 2, द्वितीय तल, सचिवालय, गांधी नगर	गुजरात की राज्य सरकार के प्रतिनिधि

[फा. सं. पी टी-18011/8/2005-पी टी]

अजय कुमार भल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2006

G.S.R. 306(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Shipping, Ports Wing, No. G.S.R. 266(E) dated 2-5-2006, the Central Government hereby appoints the following as trustees after serial number 3 of the said notification on the Board of Trustees for the Port of Kandla.

TABLE

4. Director (Finance)	Representing Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Shipping.
5. Principal Officer (I/C), Mercantile Marine Department, Mumbai	Representing Mercantile Marine Department.
6. Secretary, Ports & Transport Department, Block No. 2, 2nd Floor, Sachivalaya, Gandhinagar.	Representing State Government of Gujarat.

[F. No. PT-18011/8/2005-PT]

A. K. BHALLA, Jt. Secy.

1555 GI/2006